

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज,

उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2020

**विषय:- विषय:- 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत जनपद-बुलन्दशहर के ग्राम पंचायत-
मोहाना, विकास खण्ड-गुलावठी को निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2016-17 के
अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि के सापेक्ष योजनाओं की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ग्राम पंचायत-मोहाना, विकास खण्ड- गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर को वित्तीय वर्ष 2016-17 की निष्पादन अनुदान के अन्तर्गत रु. 484.55 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-27/2020/907/33-3-2020-02/2016 दिनांक 24.04.2020 द्वारा स्वीकृत की गई है। उपरोक्त शासनादेश में दिए गए निर्देश के अनुसार जनपद स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.09.2020 में संस्तुत परियोजनाओं का परीक्षण कर राज्य स्तरीय समिति को संदर्भित किया गया है।

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.09.2020 में जनपद से प्राप्त परियोजनाओं पर विचार कर संस्तुति की गई। राज्य स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 15.10.2020 निर्गत किया गया है। राज्य स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति के दृष्टिगत संलग्नक-1 पर दिए गए परियोजनाओं के विवरण के अनुसार रु. 461.13 लाख लागत की स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1- निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष जनपद स्तर पर सक्षम स्तर से प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। जनपद में प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त योजनाओं के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि निदेशक, पंचायती राज उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायत- मोहाना, विकास खण्ड-गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर को उपलब्ध

करायी जायेगी। प्रथम किशत की धनराशि का, 70 प्रतिशत व्यय होने पर 40 प्रतिशत द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी एवं शेष 10 प्रतिशत की तृतीय किशत भौतिक कार्य पूर्ण होने तथा संतोषजनक गुणवत्ता के प्रमाणपत्र के उपरान्त निदेशक, पंचायती राज 30प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत को अवमुक्त की जायेगी।

- 2- इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 14वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-02/2016 दिनांक 18.02.2016 एवं समय-समय पर निर्गत किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
- 3- प्रत्येक कार्य (वर्क आई.डी.) की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा एवं यह जानकारी ई-ग्राम स्वराज के पोर्टल पर प्रोग्रेस रिपोर्ट मद में अंकित की जायेगी। प्रत्येक कार्य (वर्क आई.डी.) के सापेक्ष समस्त भुगतान ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन (जो पी.एफ.एम.एस. साफ्टवेयर से स्वीकृत हो) के माध्यम से किया जायेगा।
- 4- राज्य स्तरीय समिति द्वारा आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तदनुसार प्रस्तावित प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी/प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है, तो पुनरीक्षित प्रायोजना पर जिला स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 5- निविदा खोलने एवं निविदा मूल्यांकन करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर एक निविदा समिति का गठन किया जायेगा।
- 6- कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर कार्य करने के निर्देश पंचायतों को दिए गए हैं। निविदा डालने हेतु एक टेण्डर बाक्स ग्राम पंचायत में तथा एक टेण्डर बाक्स जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा। दोनो टेण्डर बाक्स एक साथ निविदा समिति के समक्ष खोले जाएंगे।
- 7- जिलाधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे जो समय-समय पर कार्यों का भौतिक सत्यापन व पर्यवेक्षण करेंगे।
- 8- प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

- 9- निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रारम्भ किया जायेगा जिससे कॉस्ट ओवर रन, टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
- 10- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- 11- परियोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के लेखे का विवरण पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ में रखा जायेगा।
- 12- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 13- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाये।
- 14- ग्राम पंचायत हेतु स्वीकृत धनराशि का अधिकतम 01 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत, जनपद स्तर व राज्य स्तर पर कार्यों में कन्सलटेंसी सर्विस, पर्यवेक्षण, मॉनीटरिंग व इवोल्युशन के लिए उपयोग की जा सकती है।
15. वित्तीय स्वीकृति जारी के सम्बन्ध में धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, अन्य मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 2- यह शासनादेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-01/2020/बी-1-149 /दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30 प्र0, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।
- 4- अपर निदेशक, आर.सी.यू.ई.एस., लखनऊ।
- 5- उप निदेशक/सदस्य सचिव, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, 30प्र0।
- 6- जिला पंचायतराज अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 7- ग्राम प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत-मोहाना, विकास खण्ड- गुलावठी, बुलन्दशहर।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संलग्नक-1

| शासनादेश संख्या-48/2020/2392/33-3-2020-55/2020 दिनांक 23.10.2020 द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जनपद-बुलन्दशहर के ग्राम पंचायत-मोहाना, विकास खण्ड-गुलावठी को निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि रु. 4,84,55,584/- के सापेक्ष योजनाओं की स्वीकृति सम्बन्धी विवरण | | |
|--|---|----------------|
| क्र.सं. | परियोजना का नाम | स्वीकृत धनराशि |
| (A) | सम्पर्क मार्ग एवं आन्तरिक सड़कें /गलियां ड्रेनेज सहित। | |
| A.1 | इण्टरलाकिंग | |
| 1 | ग्राम मोहाना में अशोक मास्टर के मकान से राजेन्द्र सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य | 4.23 |
| 2 | ग्राम मोहाना में ब्रम्हपाल सिंह के घर के सामने शुकूरपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य। | 13.8 |
| 3 | ग्राम मोहाना में महेन्द्र के घर से स्व0 तारा के घर तक एवं कुंवरपाल के घर तक इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य। | 4.85 |
| 4 | ग्राम मोहाना में पंकज के मकान से कालू शर्मा की चक्की तक इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 13.83 |
| 5 | ग्राम मोहाना में रामपाल के मकान से महेन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य। | 4.35 |
| 6 | ग्राम मोहाना में राकेश के मकान से धर्मपालन के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य | 4.76 |
| 7 | ग्राम मोहाना में ईश्वर के मकान से पिंदू के मकान एवं इस्लाम अली के मकान से यासीन के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य। | 3.85 |
| 8 | ग्राम मोहाना में फकाना रोड पर अनिल शर्मा के प्लाट से जगत शर्मा के मकान तक एवं साइड गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 9.41 |

| | | |
|----|--|-------|
| 9 | ग्राम मोहाना में संजय के मकान से महेन्द्र पंडित के मकान एवं सतीश की चक्की तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 6.47 |
| 10 | ग्राम मोहाना में गोला कुआं से अभिषेक के घर तक इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 4.21 |
| 11 | ग्राम मोहाना में सुल्तान सिंह के मकान से ललित के मकान एवं शीषराम के मकान से धारा सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 1.49 |
| 12 | ग्राम मोहाना में भूपेन्द्र यादव के मकान से रविन्द्र यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 2.02 |
| 13 | ग्राम मोहाना में सीसी रोड से टिल्लन के घर एवं सतीश के घर तक इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 4.18 |
| 14 | ग्राम मोहाना में प्राइमरी पाठशाला नं0 2 से बिजेन्द्र मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 14.89 |
| 15 | ग्राम मोहाना में जगवीर के खेत काली सड़क से प्राइमरी पाठशाला नं0 1 तक व दो सहायक गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य। | 20.18 |
| 16 | ग्राम मोहाना में मेन सीसी रोड पर कुलदीप के प्लाट से पितोबास मार्ग तक इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 10.28 |
| 17 | ग्राम मोहाना में ब्रिजेश के मकान से अवधेश के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य। | 0.83 |
| 18 | ग्राम मोहाना में गोपाल के प्लाट से नेपाल जाटव के मकान एवं कलुवा के मकान से आरिफ के मकान एवं मनोज के मकान से शहजाद के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य। | 6.56 |
| 19 | ग्राम मोहाना में पप्पू की दुकान से शमीम के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य। | 11.59 |
| 20 | ग्राम मोहाना में सुरेन्द्र टी0टी0 के घर से सोहनलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 1.59 |
| 21 | ग्राम मोहाना में मेन सीसी रोड से कृष्णवीर के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 1.19 |
| 22 | ग्राम मोहाना में मनवीर के मकान (बूढ़े बाबू के पास) से धर्मवीर, राजू एवं प्रमोद के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 6.8 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 23 | ग्राम मोहाना में जय प्रकाश के मकान से उदयवीर के घर तक इण्टरलाकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 2.69 |
| | कुल योग (A.1) | 154.05 |
| A.2 | सी0सी0 रोड | |
| 24 | ग्राम मोहाना में किशन के मकान से आई0टी0आई0 के चौराहे तक सीसी रोड निर्माण कार्य। | 11.59 |
| | कुल योग (A.2) | 11.59 |
| (B) | एल0ई0डी0 लाईट एवं स्ट्रीट लाईट | |
| 25 | एलईडी लाईट स्थापना | 6.65 |
| 26 | विद्युत अवस्थापना पर देय शुल्क एवं कंजीजेन्सी | 12 |
| | कुल योग (B) | 18.65 |
| (C) | सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | |
| 27 | सफाई गाड़ी | 4.67 |
| 28 | डम्पिंग ग्राउण्ड का निर्माण | 19.73 |
| | कुल योग (C) | 24.4 |
| (D) | ग्रे वाटर मैनेजमेन्ट | |
| 29 | कोटा मार्क स्थित बड़े कब्रिस्तान से नाले तक यू टारईप नाली निर्माण | 8.36 |
| 30 | आईटीआई से शौकिन के मकान तक आरसीसी नाला निर्माण | 43.7 |
| | कुल योग (D) | 52.06 |
| (E) | वाटर बॉडी रिजुवेशन | |
| 31 | ग्राम मोहाना में नाली तालाब का जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, बेंच आदि | 13.02 |
| 32 | ग्राम मोहाना में बूढ़े बाबू तालाब का जीर्णोद्धार सौन्दर्यीकरण व घाट निर्माण | 29.52 |
| | कुल योग (E) | 42.54 |
| (F) | अवस्थापना सुविधाओं का विकास | |
| 33 | गाटा संख्या 118 क्षेत्रफल 0.253 है0 लाईब्रेरी, एस्ट्रोनामी लैब एवं पार्क की स्थापना | 25 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 34 | शवदाह गृह, पथनिर्माण व बाउण्डीवाल आदि का निर्माण | 20 |
| 35 | 02 मॉडल ऑगनवाड़ी केन्द्र व 01 ऑगनवाड़ी केन्द्र का सुदृढीकरण | 20 |
| 36 | पंचायत घर एवं बूढे बाबा स्थल का विस्तरण | 35 |
| | कुल योग (F) | 100 |
| (G) | स्कूलों का सुदृढीकरण/स्मार्ट क्लासेज़ | |
| 37 | प्रा.वि. का सुदृढीकरण व स्मार्ट क्लासेज (ब्राडबेण्ड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी फलोर टाईल्स वाटरकूलर, बाउण्डीवाल, फर्नीचर, मॉडल शौचालय, हैण्डवाश यूनिट, झूले, रैन वाटर हार्वेसटिंग सिस्टम, डिजिटल डिस्पले बोर्ड एम.डी.एम. शैड वाल पेन्टिंग ग्राफिक्स सोलर सिस्टम, वृक्षारोपण, इण्टरलॉकिंग आदि का निर्माण। | 32.84 |
| | कुल योग (G) | 32.84 |
| (H) | प्ले ग्राउण्ड/ओपन जिम | |
| 38 | गाटा संख्या 54/2 खेल मैदान का निर्माण | 25 |
| | कुल योग (H) | 25 |
| | महायोग A+B+C+D+E+F+G+H रूपये | 461.13 |

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।